मध्यप्रदेश विधान सभा
(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

द्वितीय प्रतिवेदन

(जुलाई –अगस्त 2009 सत्र, भाग–3)

(यह प्रतिवेदन में श्रम, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास, आयुष, परिवहन एवं जनजातीय कार्य विभागों के आश्वासनों से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 18 दिसम्बर,2024 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	एक
2.	**प्रस्तावना**	दो
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	तीन
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) श्रम	1
	(2) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	6
	(3) पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	20
	(4) भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	32
	(5) आयुष	35
	(6) परिवहन	39
	(7) जनजातीय कार्य विभाग	45

(एक)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024-25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री श्याम सुंदर राजपाल	. .	तकनीकी संचालक
5.	श्री नरेन्द्र मिश्रा	. .	अवर सचिव
6.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी.
7.	श्रीमती मधु रायकवार	. .	सहायक ग्रेड-1

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **द्वितीय प्रतिवेदन (भाग-3)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत **दिनांक 16 अगस्त, 2024** को गठित की गई है।

- इस प्रतिवेदन में, जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है।

- समिति की बैठक **दिनांक 17 दिसम्बर,2024** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ , जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

- समिति प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया।

- समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया।

भोपाल :

दिनांक : 17 दिसम्बर,2024

हरिशंकर खटीक
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

(तीन)

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	श्रम	03, 881, 882, 883, 992
2.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	43, 756, 859, 860, 861, 862, 863, 998, 999
3.	पिछड़ा वर्ग तथा उल्पसंख्यक कल्याण	884, 885, 886, 917, 918, 919
4.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	905, 906, 907, 997
5.	आयुष	613, 614, 619
6.	परिवहन	838, 840, 841, 842, 843, 845, 846,1131
7.	जनजातीय कार्य	766, 767, 768, 769, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778 779, 780, 782, 784, 1063, 1064, 1065,1066,1067,1068, 1069,1070, 1071, 1072, 1073, 1074

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र

श्रम विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अनुशंसा
1.	03	स्थगन प्रस्ताव नं. 47 दि. 08.07.2009	सिंगरौली जिले की आर.ई.सी.एल.एवं आइडियल एक्सप्लोसिव फेक्ट्री में विस्फोट से प्रभावित परिवारों को सहायता ।	1.प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी । 2.प्रमुख सचिव श्रम इस घटना की जॉच करेंगे । और जो सहयोगी आवश्यक होगें टीम के वे भी अपने साथ जोड़ेगे । 3.एक महीने के अंदर यह जॉच पूरी होकर रिपोर्ट आ जाए और उस रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी है उनके ऊपर कार्यवाही की जाए और मैं मानता हूं कि जल्दी रिपोर्ट आएगी कार्यवाही जल्दी होगी ।	सिंगरौली में स्थित एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में हुई विस्फोट की घटना में घायलों को सहायता राशि प्रदान की गई है । विभागीय पत्र क्रमांक 2002/116/2014/ए-16 दिनांक 23.12.2014	समिति प्रकरण में जांच की अद्यतन स्थिति से अवगत होना चाहेगी ।

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>881</td>
<td>परि.ता.प्र.सं. 28 (क्र.1678) दि. 15.07.2009</td>
<td>जिला पन्ना के अंतर्गत जनपद पंचायत पवई/शाहनगर के ग्रामों में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ श्रमिकों को दिलाने हेतु शेष प्रकरणों का निराकरण किया जाना।</td>
<td>शेष 16 प्रकरणों का निराकरण एक माह में कर दिया जावेगा।</td>
<td>शेष 16 प्रकरणों में से 6 प्रकरण हितग्राहियों के अपात्र पाये जाने के कारण निरस्त किये गये एवं शेष 10 प्रकरणों में निम्नानुसार हितग्राहियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाकर निराकरण कर दिया गया है :-
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>लाभान्वित आवेदक का नाम</th><th>ग्राम</th><th>योजना का नाम</th><th>लाभ राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>हक्का/मुतिया अहिरवार</td><td>लुधनी</td><td>विवाह सहायता योजना</td><td>5000/-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सुनिया/रतिया चौधरी</td><td>तिधरा</td><td>विवाह सहायता योजना</td><td>5000/-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>शिमला /मन्नू चमार</td><td>उमरी</td><td>विवाह सहायता योजना</td><td>5000/-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ओंकार/सेवालाल मेहतर</td><td>खमहरिया</td><td>विवाह सहायता योजना</td><td>5000/-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>मोहन/रजुआ चौधरी</td><td>सिमरिया</td><td>विवाह सहायता योजना</td><td>5000/-</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>राजाबाई/मलैया चौधरी</td><td>गनियारी</td><td>विवाह सहायता योजना</td><td>5000/-</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>फूलबाई/श्यामलाल चौधरी</td><td>खमरिया</td><td>विवाह सहायता</td><td>5000/-</td></tr>
</table>
</td>
<td>कोई टिप्पणी नहीं।</td>
</tr>
</table>

			योजना	
8	अर्जुना/सुकैया चौधरी	सिमरिया	विवाह सहायता योजना	5000/-
9	श्रीमती उर्मिला /बसौर	सगरा	प्रसूति सहायता योजना	5000/-
10	श्रीमती निर्मला बसौर	सगरा	प्रसूति सहायता योजना	5000/-

विभागीय पत्र क्रमांक 25-22/09/16-ए
दिनांक 16.02.2010

3	882	अता.प्र.सं. 60 (क्र.2543) दि. 15.07.2009	वर्ष 2007 से 31 मार्च 2009 की अवधि में राजगढ़ जिले में बाल श्रमिकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के दुरूपयोग के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।	छात्रवृत्ति की एवज में प्रदान की गई राशि की वसूली की कार्यवाही कलेक्टर जो जिला बाल श्रम परियोजना समिति के पदेन अध्यक्ष है द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है एवं प्रक्रियाधीन है।	श्री संजय सिसोदिया पिता श्री पी.एस.सिसोदिया अनुबंधकर्त्ता एवं अध्यक्ष संस्था राजगढ़ खादी ग्रामोत्थान समिति राजगढ के विरूद्ध कार्यालयीन पत्र क्रमांक 25/रा./बा.श्र.प./2010 से आर.आर. सी.आर.जारी की गई है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 25-34/2009/अ-सोलह दिनांक 19 मई,2010	कोई टिप्पणी नहीं।
4	883	अनुदान मांग संख्या-18 दि. 22.07.2009	घरों में काम करने वाली महिलाओं को राहत देने वाली सूची में शामिल किया जाना।	मैं इसमें शामिल करने का प्रयास करूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके मत से सहमत हूं आपने कहा इस लिये मैं घोषणा करता हूं कि उनकों भी हम ले लेंगे।	मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003 की अनुसूचि में घरों में काम करने वाली औरते जो खाना बनाने एवं सफाई एवं झाड़ू – बहारू के काम में संलग्न है। उन्हें अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान करने वालों की सूची में शामिल कर लिया गया है तथा इस हेतु मध्यप्रदेश असंगठित श्रमिकों के लिये शहरी एवं ग्रामीण मंडल का गठन राजपत्र दिनांक 26.09.08 द्वारा किया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक 520/613/2010/ए/सोलह दिनांक 5 अप्रैल,2010	कोई टिप्पणी नहीं।

5	922	अता.प्र.सं. 101 (क्र.4911) दि. 29.07.2009	**नगर निगम ग्वालियर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ डॉ. सुभाष गुप्ता की पदोन्नति के पश्चात पदोन्नति आदेश का पालन न किये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही।**	**नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।**	श्रम विभाग के आदेश क्रमांक ज्ञापन क्रमांक एफ-1-12 / 2009/ब/सोलह,दिनांक 9 फरवरी, 2010 द्वारा डॉ. सुभाष गुप्ता सहायक शल्य चिकित्सक कार्यालय नगर पालिका निगम,ग्वालियर के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जॉच हेतु कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया **है।** **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-25/1/2010/ब/सोलह दिनांक 16 फरवरी,2010** **अद्यतन :-** प्रकरण में जॉच की कार्यवाही विभाग के पत्र क्रमांक एफ-1-12/2008/ब-16 दिनांक 28.9.2010 द्वारा बिना किसी दंड के समाप्त कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 25-1/2010/बी-सोलह दिनांक 8.7.2015**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अनुशंसा
1.	43	अता.प्र.स.81 (क्र.2829) दि.15.7.2009	उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उद्यानिकी में निर्मित किये गये तालाबों में अनियमितता की जॉच एवं कार्यवाही की जाना।	5 तालाबों शेरपुर, रूप्रखेडा झुठावद कोयल एवं अभ्शधागा में अनियमितताओं के जॉच प्रतिवेदन पर आयुक्त उज्जैन के स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है।	उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उद्यानिकी में निर्मित किये तालाबों में अनियमितता की जॉच के संबंध में आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश क्रमांक 10043 दिनांक 29.12.2010 द्वारा श्री डी.एस.ठाकुर, सहायक भूमि संरक्षक अधिकारी, नदी घाटी योजना महिदपुर जिला उज्जैन को लघुशास्ति से दंडित करते हुये राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन जिला उज्जैन के बैंक खाता क्रमांक 910310210000001 दिनांक 13.06.2011 को बैंक ऑफ इंडिया दशहरा मैदान उज्जैन में उनसे शासन को हुई राशि रूपये	कोई टिप्पणी नहीं।

					25530/- जमा कराये गये । <u>विभागीय पत्र क्रमांक 282 /1928/2021/58, दिनांक 16.089.2021</u>	

2.	756	ता.प्र.स.13 (क्र.1783) दि.28.7.2009	खंडवा में उद्यानिकी विभाग में विगत दस वर्षो से पदस्थ उप संचालक विजेन्द्र सिंह सोलंकी के विरूद्ध अनियमितता की शिकायत होने पर उनका स्थानांतरण किया जाना।	उसको हटवा देगें।	श्री विजेन्द्र सिंह सोलकी उप संचालक उद्यान जिला खंडवा को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-29/2010/58 दिनांक 12.3.2010 द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति पर जल संसाधन विभाग के अंतर्गत परियोजना संचालक के पद पर पाईकू भोपाल पदस्थ कर दिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7-11/2010/58 दिनांक 15.10.2010	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	859	ता.प्र.स.5 (क्र.47) दि.09.7.2009	बड़वाह विधान सभा क्षेत्र के उद्यानिकी के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि की स्वीकृति दी जाना एवं वर्ष 2008-09 में अनुदान राशि नहीं मिलने की जॉंच एवं कार्यवाही।	आगामी बजट में उन सब किसानों की जितनी योजनाएं है। उनको शामिल कर लेगें। मैं परीक्षण करा लूंगा।	बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के 49 कृषकों को 50.000 हेक्टर क्षेत्र हेतु लंबित अनुदान राशि रूपये 2745003 का भुगतान वर्ष 2009 में कर दिया गया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7-11/2010/58 दिनांक 15.10.2010	कोई टिप्पणी नहीं।

4.	**860**	**ता.प्र.स.8 (क्र.1471) दि.09.7.2009**	**रतलाम में फूड प्रोसेसिंग पार्क का विकास किया जाना।**	**1.रतलाम में माननीय सदस्य जिस प्रकार से चाहते है वहां पर हम फुड प्रोसेसिंग की यूनिट डालना चाहते है । वहॉं पर फुड पार्क बना रहे है उसमें हमारी एजेंसी भी करीब-करीब फिक्स हो गई है । एक साल के अंदर हम काम प्रारंभ कर देगें । जहां तक आपने इनवेस्टर मीट की बात कही है। यदि आवश्यकता हुई तो अधिकारियों के साथ हम रतलाम में इससे संबंधित संभावनाओं के बारे में माननीय विधायक जी के साथ और आप जिनकों चाहेगें उनको आंमत्रित करके एक बार बैठ जाएंगे।** **2. हम प्रदेश के सारे जिलो में जहां पर फुड प्रोसेसिंग की संभावना**	रतलाम में ग्राम करमंदी में फूड पार्क के लिए भूमि का आधिपत्य विभाग द्वारा प्राप्त कर भूमि की मार्किंग की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । फूड पार्क की स्थापना पब्लिक प्रायवेट पार्टनशिप के अंतर्गत किये जाने के लिये मेसर्स अर्नस्ट एंड यंग प्रायवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 4 सितम्बर, 2009 को अनुबंध हो चुका है । उनके द्वारा दिनांक 5.12.2009 को फूड पार्क की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है । इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन रतलाम सहित पूरे प्रदेश हेतु माह फरवरी-मार्च 2010 में इन्दौर में प्रस्तावित है। दिनांक 21.02.2009 को बैठक का आयोजन कर इन्दौर संभाग में फूड पार्क की स्थापना के लिये आवश्यक भूमि के चयन किये जाने लिये सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये	**कोई टिप्पणी नहीं।**

				है उसका अध्ययन कर रहे है । हम प्रत्येक जिले में जाएंगे और जहां जहां फुड प्रोसेसिंग की संभावना होगी उसका अध्ययन करने के बाद वहां फुड पार्क बनाएगें।	है । जबलपुर जिले का अध्ययन कर वहां पर मंडी बोर्ड द्वारा ग्राम खेरी में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7-7/2009/58 दिनांक 23 दिसम्बर,2009	

5.	861	अता.प्र.स.20 (क्र.1792) दि.16.7.2009	**खंडवा उद्यानिकी विभाग में कार्यरत श्री विजेन्द्र सिंह सोलंकी उप संचालक खंडवा के विरूद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जॉंच एवं कार्यवाही।**	**जॉंच प्रतिवेदन के तथ्यों का परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।**	जांच प्रतिवेदन में परीक्षणोंपरांत श्री सोलंकी की दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का अनंतिम निर्णय लिया जाकर लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर अंतिम आदेश दिनांक 23.7.2010 को जारी किया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7-20/2009/58** **दिनांक 9.8.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

6.	862	परि.ता.प्र.स.52 (क्र.3854) दि.23.7.2009	**वर्ष 2008-09 में उद्योग विभाग द्वारा एम.पी.एग्रो के माध्यम से मिर्च गोली बीज का क्रय की प्राप्त शिकायत की जॉंच एवं कार्यवाही।**	**शिकायत के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।**	निगम द्वारा विधानसभा प्रश्न के प्रतिउत्तर में दी गई शिकायतकर्ताओं का उल्लेख किया गया था। उसकी जांच पश्चात पाया गया कि मिर्च किस्म की गोली की कोई फसल उनके द्वारा कभी नहीं ली गई है एवं न ही शिकायत की गई । बेनामी शिकायत में भाग्यश्री फर्टिलाईजर आर्कोट स्टेण्ड अकोला का देयक संलग्न किया गया था । जिसके संबंध में उत्पादक कंपनी मेसर्स नामधारी सीड्स प्रा.लि. बैंगलोर ने अवगत कराया है कि उक्त फर्म उनके अधिकृत विक्रेता /वितरक नहीं है । यह भी अवगत कराया है कि उत्पादक मेसर्स नामधारी सीड्स प्रायवेट लिमिटेड बैंगलोर से मिर्च गोली एवं गोली इम्प्रूव्ड के मार्फोलाजिकल एवं डिस्टिंगुइश्ड केरेक्टर्स एवं	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					सेम्पल्स मांगे गये । जिसे उत्पादक द्वारा निगम को उपलब्ध कराया गया । शासन की अनुमति दिनांक 21.12.2009 के तारतम्य में निगम द्वारा दिनांक 24.12.2009 को उपरोक्त सेम्पल्स जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर को परीक्षण हेतु भेजे गये साथ ही मार्फोलाजिकल एवं डिस्टिंगुइश्ड केरेक्टर्स की तकनीकी अभिमत हेतु जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय तथा संचालक उद्यानिकी को दिनांक 26.12.2009 को भेजे गये । जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय द्वारा परीक्षण की रिपोर्ट पत्र क्रमांक उद्यान/वि/1272 दिनांक 15.3.2011 से अवगत कराया गया है कि मिर्च गोली का उत्पादन 109.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है । स्पष्ट है कि मिर्च गोली	

					इन्प्रुव्ड का उत्पादन अधिक है तथा विश्व विद्यालय द्वारा कोई प्रतिकुल टीप नहीं दी गई है । अत: आर.सी.ओ.में वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है । **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-7-36/2009/58** **दिनांक 25.8.2011**	

7.	863	अता.प्र.स.11 (क्र.1839) दि.23.7.2009	रतलाम जिला पंचायत के ग्राम कुशनगढ़ में बीज वर्मी काम्पोस्ट बनाने के लिये किसानों को दिये जा रहे अनुदान में अनियमितता की जाने की प्राप्त शिकायतों की जॉंच एवं कार्यवाही।	जॉंच पूर्ण होने के पश्चात गुण दोष के आधार पर जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जावेगी।	रतलाम जिले में श्री दिनेशचन्द्र चौहान तथा श्री नबावसिंह मेहदोरिया(दोनों ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी) जिला रतलाम को कलेक्टर रतलाम द्वारा निलंबित किया गया है। कलेक्टर रतलाम द्वारा श्री दिनेशचन्द्र चौहान (ग्रा.उ.वि.अधि) को निलंबन से बहाल कर नियमित विभागीय जांच संस्थित कर दी गई है। जांच कार्यवाही अर्द्धन्यायिक स्वरूप की होने से निर्णय में विलंब हो सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 7-31/2009/58** **दिनांक 25.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

8.	**998**	**परि.ता.प्र.स.54 (क्र.4842) दि.30.7.2009**	**उज्जैन जिले में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन अंतर्गत निर्मित तालाबों में अनियमितता की जॉंच तथा कार्यवाही।**	**जॉंच उपरांत गुण दोष के आधार पर दोषी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।**	1.वर्ष 08-09 में राज्य उद्यानिकी मिशन योजनान्तर्गत जिला स्तर से 6 तालाबों का निर्माण कार्य सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी नदी घाटी योजना महिदपुर जिला उज्जैन को सौंपा गया। 2.कलेक्टर उज्जैन द्वारा तालाबों के निर्माण में हुई अनियमितता की जॉंच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन से कराई गई। जिसमें 5 तालाबों के निर्माण में त्रुटियां की जाकर रूपये 51060/- का अनियमित व्यय बताया गया। जिसके तारतम्य में आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा श्री डी.एस.ठाकुर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी नदी घाटी योजना महिदपुर को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। 3. जारी किये गये सूचना पत्र में दर्शायी गई वसूली	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					योग्य राशि के संबंध में श्री ठाकुर ने अपना प्रत्युत्तर (अभ्यावेदन) आयुक्त उज्जैन संभाग को प्रस्तुत किया । जिस पर कार्यवाही आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन स्तर पर प्रक्रियाधीन है । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-3/2010/58</u>** **<u>दिनांक 26.07.2010</u>** **<u>अद्यतन</u>** आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण में जॉच कर अपने आदेश पृष्ठांकन क्रमांक वि-5/10/10043 दिनांक 29.12.2010 द्वारा दोषी पाये गये श्री डी.एस.ठाकुर सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी नदीघाटी योजना महिदपुर जिला उज्जैन के द्वारा शासन को पहुंचाई गई हानि रूपये 51060/- की 50 प्रतिशत राशि रूपये 25530/- की वसूली से दंडित राशि जमा	

					की जा चुकी है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-3/2010/58</u>** **<u>दिनांक 16.6.2011</u>**	

9.	999	अता.प्र.स.14 (क्र.3857) दि.30.7.2009	**उद्यान विभाग में 50% अनुदान पर समवित साग सब्जी योजना के अंतर्गत सागर जबलपुर देवास इन्दौर शहडोल एवं सतना में 50 प्रतिशत कृषक अंश राशि संबंधित कर्मचारियों द्वारा जमा न करने पर संबधित कर्मचारी से ब्याज सहित वसूली की जाना।**	**राशि वसूली के संबंध में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही जारी है।**	इन्दौर सतना एवं देवास जिलो के कर्मचारियों द्वारा पूर्ण राशि जमा की जा चुकी है । शहडोल जिले के कर्मचारियों से राशि रूपये 22642/- जबलपुर के कर्मचारियों से रूपये 25900/- तथा सागर के कर्मचारियों से रूपये 32788/- इस प्रकार कुल राशि रूपये 81730/- जमा कराया जाना शेष है । जिसकी वसूली संबंधित कर्मचारियों से मासिक किश्तों में की जा रही है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-6/2009/58</u>** **<u>दिनांक 1 फरवरी 2010</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अनुशंसा
1.	**884**	**ता.प्र.सं.10 (क्र.1281) दि.08.07.2009**	**मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की बैठक दिनांक 31 मई,2009 के ऐजेंडे में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति का बिन्दु न होने पर भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की वक्फ बोर्ड से परामर्श के बिना नियुक्ति किये जाने की जॉंच एवं कार्यवाही।**	**आसंदी के निर्देश :- मंत्रीजी आप इसकी जॉंच करा लें।**	प्रकरण में सचिव पिछड़ा वर्ग आयोग से जांच कराई गई। जिसमें सचिव पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अन्य विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्रमांक 2801) के संबंध में माननीय सदस्य श्री आरिफ अकील द्वारा की गई शिकायत के संबंध में जॉंच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त जॉंच प्रतिवेदन के पैरा 2 में विधानसभा प्रश्न क्रमांक 10(1281) का उत्तर भी समाहित है। जिसमें लेख किया गया है कि बैठक में मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1348/09 दिनांक 14.05.09 को	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					पारित अंतरित आदेश के परिपालन में बोर्ड कार्यालय द्वारा अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत श्री शाहिद सईद को वक्फ हुसैन टेकरी सारिफ जावरा के मुमवल्ली के पद पर नियुक्ति आदेश को अनुमोदन किया गया । तत्पश्चात भोजन अवकाश हुआ । भोजन अवकाश के पश्चात बैठक पुन: आरम्भ हुई जिसमें अध्यक्ष सहित 6 सदस्य उपस्थित रहें । जिन्होनों माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्तुत किए गए संकल्पों /प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया । तत्पश्चात दोपहर 3 बजे माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापर प्रस्तुत संकल्प /प्रस्ताव की सूची रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 11 एवं 12 पर चस्पा है । उक्त कार्यवाही विवरण पर बोर्ड के अध्यक्ष	

					एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर है तथा कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न कुल 22 प्रस्ताव (जिसमें प्रस्ताव क्रमांक -7 जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति के अनुमोदन से संबंधित है, सम्मिलित है) पर बोर्ड के 5 सदस्यों सहित अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर है । उपरोक्त कार्यवाही विवरण के आधार पर विधानसभा प्रश्न क्रमांक 10(1281) के उत्तर में माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत किया गया था जो विरोधाभासी नहीं है । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-5/2009/64-2</u>** **<u>दिनांक 7 जून 2010</u>**	

2.	885	अता.प्र.सं. 59 (क्र. 1282) दि. 08.07.2009	वक्फ संपत्तियों पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना।	वक्फ संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रचलन में है।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी वक्फ बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक 207/बोर्ड/690 दिनांक 19.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के 22 जिलों में कुल 190 प्रकरण थे। जिसमें से 02 प्रकरणों में अतिक्रमण हटाया गया। 188 प्रकरणों में अतिक्रमण हटाये जाने की जानकारी प्राप्त की जा रही है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-7/2013/54-2 दिनांक 31.01.2017	कोई टिप्पणी नहीं।

3.	**886**	**ता.प्रप.सं.3 (क्र. 3612) दि.22.07.2009**	**भोपाल मसाजिद कमेटी के आडिट में पाई गई अनियमितताओं के दोषियों से राशि की वसूली एवं मसाजिद कमेटी के मेयर के खाते से तत्कालीन सेकटरों द्वारा बिना अनुमति के पर्सनल नाम से गाड़ी खरीदी की जॉंच एवं वसूली । 10 जुलाई को अल्पसंख्यक परामर्शदात्री समिति की बैठक में तत्कालीन मंत्रीजी द्वारा एक हफ्ते में जॉंच करने के दिये गये आश्वासन पर कार्यवाही की जॉंच।**	**जी.हां मैं इसकी जॉंच करा लूंगा कही कोई गडबड़ी पायी जायेगी तो कार्यवाही करूंगा। जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर लेगें।**	भोपाल मसाजिद कमेटी के आडिट में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में आपत्तियों की जांच की गई। मसाजिद कमेटी के खाते से तत्कालीन सचिव मसाजिद कमेटी श्री वसीम उद्दीन द्वारा बिना अनुमति के व्यक्तिगत नाम से गाडी खरीदी गई थी। जांच में यह वाहन मसाजिद कमेटी के स्वामित्व का पाया गया। मसाजिद कमेटी थाना शाहजहांनाबाद भोपाल को पत्र दिनांक 6.5.2011 से उक्त वाहन को स्वर्गीय वसीम उद्दीन के परिजनों से प्राप्त कर सूचित करने तथा आवश्यकता होने पर सिविल कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराने हेतु लिखा गया। सचिव मसाजिद कमेटी ने थाना प्रभारी शाहजहांनाबाद भोपाल में	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					दिनांक 7.1.2013 को एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही कर अवगत कराया गया। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-14/2009/54-2</u>** **<u>दिनांक 01.10.2013</u>**	

4.	**917**	**परि.ता.प्र.सं.57 (क्र. 4569) दि.29.07.2009**	**रतलाम शहर में वक्फ बोर्ड की पिछले 10 वर्षो की आडिट रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं की जॉच एवं कार्यवाही।**	**कार्यवाही प्रचलन में है ।**	मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा रतलाम शहर में वक्फ के आडिट वर्ष 2003-08 के दौरान आर्थिक अनियमितताएं पाई गई । आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा कलेक्टर रतलाम को लेख किया गया। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-19/2009/54-2</u>** **<u>दिनांक 10 मई,2011</u>** **<u>अद्यतन :-</u>** श्री कमालउद्दीन आडिटर द्वारा प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट में वर्ष 2005-06 की आय पर चंदा निगरानी की वसूली रूपये 917107/- प्रतिवेदित की गई थी । जबकि उक्त अवधि का आडिट पूर्व में ही श्री जिल्लुर्रहमान आडिटर द्वारा किया जा चुका था और उक्त राशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोटिस दिया जाकर	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					दिनांक 30.06.2006 को ही जमा हो चुकी थी। श्री कमालउद्दीन पूर्व आडिटर के द्वारा की गई गलत अनुशंसा अनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है । पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही संभव है । उक्त बिन्दु के अलावा आडिट रिपोर्ट में कोई आपत्ति शेष नहीं है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-19/2009/54-2</u>** **<u>दिनांक 5 मार्च,2015</u>**	

5.	918	**परि.ता.प्र.सं.99 (क्र. 4922) दि.29.07.2009**	**भोपाल के उप नगर बैरागढ़ में स्थित सैय्यद जलालुद्दीन उर्स कमेटी के अध्यक्ष एवं खादिम द्वारा अन्य संस्था के पंजीयन क्रमांक का दुरूपयोग कर लाखों रूपये का चंदा उर्स के समय एकत्रित करने की शिकायत की जॉंच एवं कार्यवाही।**	**जॉंच पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।**	सैय्यद जलालउद्दीन उर्स कमेटी की शिकायत की जांच सहायक रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी से कराई गई । उक्त संस्था पंजीकृत संस्था नहीं होने से जांचकर्त्ता द्वारा अपंजीकृत संस्था के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है । सैय्यद जलालुउद्दीन साहब को दलित वर्ग विकास समिति वनट्री हिल्स भोपाल भी है। जांच में उक्त समिति दोषी पाये जाने पर समिति को धारा 38 एवं 39 के नोटिस जारी कर जांच उपरांत पंजीयन निरस्त करने का प्रस्ताव रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीमध्यप्रदेश भोपाल को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण पर विभाग स्तर की कार्यवाही पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-24/2009/54-2 दिनांक 6.2.2014**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					<u>अद्यतन :-</u> प्रश्नाधीन शिकायत की जांच में पाई गई अनियमितताओं के बारे में रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल के आदेश दिनांक 30.06.2014 द्वारा सैय्यद जलाल उद्दीन साहेब का दलित वर्ग विकास समिति भोपाल का पंजीयन क्रमांक 12454 दि. 13.5.1983 अधिनियम की धारा 27 एवं 28 का उल्लंघन किये जाने पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया गया है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-24/2009/54-2</u>** **<u>दिनांक 8.7.2014</u>**	

6.	919	**अता.प्र.सं.75 (क्र. 4750) दि.29.07.2009**	**मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2006 से प्रश्न दिनांक तक वक्फिया संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाना।**	**प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।**	01 जनवरी,2006 से प्रश्न दिनांक तक वक्फिया सम्पत्ति पर शासन के विभागों के अतिक्रमरण की सूची निम्नानुसार है :- 1.एस.एफ.प्रथम बटालियन, इन्दौर 2. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग सतपुडा भवन परिसर उपरोक्त में शिकायत प्राप्त होने पर क्रमश: प्रकरण क्रमांक 386/06 एवं 135/09 धारा अंतर्गत 54 वक्फ अधिनियम 1995 में दर्ज किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही प्रचलन में है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो अतिक्रमण हटाये जाने तक जारी रहेगी। 3. इस प्रकार के प्रकरणों में कार्यवाही लंबे समय तक चलती है। उसके बाद ही निर्णय पारित किया जाता है। अत: प्रकरण कायम कर	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					दिये गये है । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ10-22/2009/54-2 दिनांक 14.02.2011</u>** <u>अद्यतन :-</u> प्रश्नाधीन अवधि में शासन के चार विभागों यथा एस.ए.एफ.बटालियन इन्दौर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल, मुख्य नगर पालिका कार्यालय महिदपुर एवं नगर निगम उज्जैन द्वारा वक्फियां संपत्तियों पर पर अतिक्रमण के बारे में वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये थे । जिनमें क्रमश: दिनांक 18.04.12, 20.01.11 एवं 4.9.13 अतिक्रमण से मुक्त करने के समुचित आदेश पारित किये जा चुके है । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-22/2009/54-2 दिनांक 11 दिसम्बर,2014</u>**	

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अनुशंसा
1.	905	परि.ता.प्र.सं. 67 (क्र. 4039) दि. 23.07.2009	गैस राहत एवं चिकित्सा संस्थाओं में सुरक्षा एवं सफाई ठेके की संस्थाओं के विरूद्ध चल रही विभिन्न जॉचों के आधार पर उनके भुगतान को रोका जाकर वर्तमान ठेकों को निरस्त किया जाना।	शेष जॉचों के संबंध में संबधित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त होने तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।	ई.ओ.डब्ल्यू द्वारा प्रकरण में चाही गई संपूर्ण जानकारी विभाग द्वारा ई.ओ.डब्ल्यू को उपलब्ध करा दी गई है। प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू एवं न्यायालय में लंबित होने के कारण निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-23/2011/47 दिनांक 23 जून, 2014	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि E.O.W.एवं माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

2.	906	अता.प्र.सं.50 (क्र. 3655) दि. 23.07.2009	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू .ए./डब्ल्यू पी.-1175/06 में शासन द्वारा जारी भर्ती पदोन्नति नियमों के विपरीत पारित निर्णय की प्रति विभाग में याचिकाकर्त्ता द्वारा जानबूझकर विलंब से प्रस्तुत किये जाने की जॉंच एवं न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील की जाना।	विभाग द्वारा विधिक परीक्षण कराए जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।	रिट अपील क्रमांक 1175/06 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2008 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दिनांक 5.10.2009 को प्रस्तुत की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-09/2009/47 दिनांक 8 अक्टू. 2010	कोई टिप्पणी नहीं।
3.	907	अता.प्र.सं.51 (क्र. 3657) दि. 23.07.2009	गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में लेब टेक्नीशियन के सामान्य एवं आरक्षित पदों पर पदोन्नति।	कर्मचारियों के प्रयोग शाला तकनीशियन प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जॉंच संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	गैस राहत विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थाओं में जॉच उपरांत पदोन्नति की कार्यवाही की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-10/2009/47 दिनांक 11अक्टूबर,2010	कोई टिप्पणी नहीं।

4.	997	परि.ता.प्र.सं.21 (क्र.4177) दि. 30.07.2009	गैस राहत विभाग भोपाल में सी.एम.ओ.द्वारा रेडियोग्राफर के पद पर अनियमित नियुक्ति की जॉंच एवं कार्यवाही।	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2008 एवं 9.2.2009 का विभाग द्वारा विधिक परीक्षण कराये जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जावेगी।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दिनांक 5.10.2009 को प्रस्तुत की जा चुकी है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13-10/2009/47 दिनांक 08 अक्टूबर,2010	कोई टिप्पणी नहीं।

<u>जुलाई-अगस्त 2009 सत्र</u>
<u>आयुष विभाग</u>

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अनुशंसा
1.	613	परि.ता.प्र.स. 113 (क्र. 2063) दि.10.07.2009	सहायक आयुर्वेद होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की डी.पी.सी.की जाना उनका ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाना।	1.डी.पी.सी.हेतु प्राथमिक तैयारी प्रचलित है। 2.कार्यवाही प्रचलित है।	1. सहायक आयुर्वेद/ होम्योपैथी अधिकारियों की डी.पी.सी सम्पन्न हो चुकी है। 2. ब्रम्हस्परूप समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान लागू करने हेतु सेवा भर्ती नियम में संशोधन प्रक्रियाधीन है। जिसमें समय लगने की संभावना है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6 -55/2010/1/59</u> <u>दिनांक 09.11.2011</u>	कोई टिप्पणी नहीं।

2.	614	अता.प्र.स. 122 (क्र. 3282) दि.17.07.2009	ब्रम्हस्वरूप समिति द्वारा सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों का संशोधित वेतनमान का विभागीय भर्ती नियमों में प्रकाशन।	सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है।	ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के संशोधित वेतनमान को विभाग के नए भर्ती नियम मध्यप्रदेश अराजपत्रित आयुष विभाग लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम -2013 में सम्मिलित कर लिया गया है। विभागीय पत्र क्रमांक 6-57/10/1/59 दिनांक 28.01.2014	कोई टिप्पणी नहीं।

3.	619	अता.प्र.स. 127 (क्र. 4192) दि.24.07.2009	सागर जिले के स्वास्थ्य विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति।	रिक्त अन्य तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों कों भरने की गठित समितियों द्वारा कार्यवाही की जाना है।	विभाग में बहुत अधिक संख्या में पद रिक्त है । वर्तमान में भर्ती पर प्रतिबंध है । इससे छूट प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । छूट प्राप्त होने पर पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6 -58 /2010/1/59 दिनांक 15.11.2011** **अद्यतन :-** तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु व्यापम दिनांक 01.09.2013 को चयन परीक्षा आयोजित की जा चुकी है । व्यापम से चयन सूची प्राप्त होते ही रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6 -58 /2010/1/59 दिनांक 28.01.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।

					अद्यतन :- आयुष विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति के लिये सामान्य प्रशासन विभाग से पद भरने की छूट प्राप्त की गई । तदुपरांत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिये मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल को मांग पत्र प्रेषित किया गया । मंडल से चयन सूची प्राप्त होने पर अभिलेख परीक्षण उपरांत आदेश दिनांक 04.09.2014 एवं 28.02.2015 द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति की गई । सागर जिले में 41 पदों की पूर्ति की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-6 -58 /2010/1/59** **दिनांक 29.04.2015**	

जुलाई-अगस्त 2009 सत्र
परिवहन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अनुशंसा
1.	838	परि.ता.प्र.स. 6 (क्र.128) दि.6.7.2009	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी उज्जैन द्वारा जारी निर्धारित रूट उज्जैन से महिदपुर शहर के लिये व्हाया जमोटी होकर बसे संचालित न कर अन्य रूट पर अवैधानिक रूप से चल रही बसों के मालिकों के विरूद्ध कार्यवाही।	कुछ शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	मार्ग उज्जैन से महिदपुर शहर के लिये व्हाया जगोटी होकर बसे संचालित न होने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार उज्जैन द्वारा सुनवाई कर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अंतर्गत स्थाई परमिट क्रमांक 149/08, 36/05, 163/06, 05/04-05, 03/04-05, 06/04-05, 392/05, 248/05 एवं 07/95 निरस्त किये गये । आश्वासन पूर्ति के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-17/09/आठ, दिनांक 13.10.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।

2.	840	ता.प्र.स. 9 (क्र.1045) दि.20.7.2009	**1. मंदसौर जिले के भानपुरा से आलोट रोड मार्ग का चौड़ीकरण और अंधे मोड़ को ठीक किया जाना।** **2. सीतामऊ से सुवासरा तक पढ़ने वाले बच्चों के लियु बस मालिकों द्वारा छोटी बसों के स्थान पर बड़ी बसों की व्यवस्था की जाना।**	**1. मा.सदस्य रोड का जो बता रहे है तो उसमें जो भी होगा संबधित विभाग से बात करके उसका क्या समाधान हो सकता है इसका प्रयास करेंगे । मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से मैं भी आग्रह कर लूंगा।** **2. बात करके ही कर लेगें।**	1. मंदसौर जिले में भानपुर गरोठ शामगढ सुवासरा मार्ग को चौड़ीकरण एवं उन्नयन निर्माण का कार्य 12 वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस मार्ग पर अद्यतन रूप्ये 4956.35 लाख का व्यय करते हुये कार्य लगभग पूर्णता की ओर है । साथ ही यथा संभव मोड़ों को ठीक किया जा चुका है। (लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार) 2. परिवहन विभाग द्वारा बसों के संचालन का कार्य नहीं किया जाता है । अति.क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंदसौर द्वारा अवगत कराया गया है कि सीतामऊ से सुवारा की दूरी लगभग 27 किमी है । सीतामऊ से 16 किमी तक के लिये स्कूल बसों हेतु 04 बसों को अस्थाई परमिट जारी है जो 50, 36, 28 एवं 14 बैठक क्षमता की है।	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					सीतामऊ से सुवासरा मार्ग को कवर करते हुये विभिन्न बैठक क्षमताओं की 13 बसें अस्थाई अनुज्ञा पर संचालित है। जिनमें से पांच बसे 50+2,दो बसे 38+2 एक बस 36+2 एक बस 34+2 तीन बस 32+2 तथा एक बस 27 सीटर बैठक क्षमता की है। सीतामऊ से सुवासरा मार्ग के लिये स्कूल बस/मंजिली गाड़ी के परमिट हेतु कोई आवेदन मंदसौर कार्यालय में लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-46/2009/आठ** **दिनांक 07.10.2014**	

3.	**841**	**ता.प्र.स.11 (क्र.2242) दि.20.7.2009**	**मंडला जिले में ट्रकों में ओवर लोडिंग गाड़ियों के मालिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई जाना।**	**10 गाडियों के और 10 वाहन मालिकों की सूची जानना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।**	दिनांक 01.07.2009 से 20.07.2009 तक मंडला जिले में 25 ओव्हरलोड मालवाहकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का पत्रक संलग्न है जिसमें वाहन क्रमांक एवं वाहन स्वामी का नाम भी उल्लेखित है। **विभागीय पत्र क्रमांक 10-48/2009/आठ दिनांक 13.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
4.	**842**	**अता.प्र.स.49 (क्र.2193) दि.20.7.2009**	**ग्वालियर,दतिया,मुरैना जिले में अलग-अलग परिवहन अधिकारी की पदस्थापना।**	**विभाग में अधिकारी उपलब्ध होने पर पदस्थ किया जाएगा।**	वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर श्री एम.एस.डी.कनोडिया क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मुरैना के पद पर श्री एम.पी.सिंह एवं जिला परिवहन अधिकारी दतिया के पद का प्रभार श्री कनोडिया के पास है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-10-52/09/आठ दिनांक 14.10.10**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

5.	**843**	**मांगों पर चर्चा मांग संख्या 36 दि. 20.07.2009**	**मध्यप्रदेश की परिवहन नीति को लागू किया जाना।**	**परिवहन नीति बनाई है उसका प्रारूप तैयार हो चुका है और शीघ्र ही लागू करेंगे।**	मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 21.12.09 को परिवहन नीति का अनुमोदन दिया गया तथा दिनांक 07.01.10 को आदेश जारी किया गया है । माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा दिनांक 15.04.10 को परिवहन नीति पुस्तिका का विमोचन किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक 2013 /5161/2009/आठ दिनांक 3/6/10**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
6.	**845**	**ता.प्र.स.2 (क्र.3878) दि.27.7.2009**	**मुरैना जिले में 10-10 मिनिट से बस चलाने दिये गये परमिट में परिवर्तन कर 5-5 मिनिट से बसें संचालित करने के लिये परमिट दिये जाना।**	**उस पर विचार करेगें।**	मुरैना जिले के अतिव्यस्त मार्ग मुरैना से सबलगढ़ एवं मुरैना से ग्वालियर पर 5-5 मिनिट के अंतराल से ही स्थाई/अस्थाई परमिट दिये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक 10-77/2009/आठ दिनांक 19.10.10**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

7.	**846**	**परि.ता.प्र.स.40 (क्र.3153) दि.27.7.2009**	**शिवपुरी जिले के दिनारा सिकन्दरा बैरियर पर तौल कांटा लगाया जाना।**	**बैरियर पर तोल कांटा लगाने की कार्यवाही की जा रही है।**	सिकन्दरा बैरियर पर तोल कांटा लगाये जानले हेतु शासन द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को क्रियान्वयन ऐजेन्सी नियुक्त किया गया जिसके द्वारा तौल कांटा लगाया जाना प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-78/2009/आठ दिनांक 22/2/2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
8.	**1131**	**अता.प्र.स.82 (क्र.5127) दि.3.8.2009**	**श्री रमेश महाशय द्वारा विभिन्न प्रान्तों से बिना NOC के बालाघाट लाये गये वाहनों को तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी श्री सुभाष सोना द्वारा पद का दुरूपयोग कर पंजीयन चिन्ह जारी किये जाने की जॉंच एवं कार्यवाही।**	**सुभाष सोना से उत्तर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।**	श्री सुभाष सोना द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम -10 के तहत आदेश क्रमांक 1306 /वि.स./टी.सी/2012 दिनांक 06.02.2012 द्वारा लघुशास्ति से दंडित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 10-94/2009/आठ दिनांक 9.2.12**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

<u>जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र</u>
<u>जनजातीय कार्य विभाग</u>

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	समिति का अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	766	परि.ता.प्र.सं.60 (क्र.1292) दि.10.07.2009	अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारियों को मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2007 के नियम-6(क) के प्रावधानों के अनुसार सागर संभाग अंतर्गत जिले की उपखंड स्तरीय समितियों द्वारा ग्राम सभाओं को 30 मई 2009 तक जानकारी उपलब्ध कराना एवं पेड पौधों एवं जीव जन्तुओं को सुरक्षित एवं संरसित रखे जाने के संबंध में ग्राम सभा के कर्तव्यों और वन अधिकार के धारकों के कर्तव्यों के बार में जानकारी उपलब्ध कराई जाना।	1.अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	सागर संभाग के जिलों में समस्त ग्राम सभाओं की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के नियम 6 (क) के प्रावधानों के अनुसार प्रतियां उपलब्ध करायी जाकर उपखंड स्तरीय समितियों द्वारा क्षेत्र में पोय जाने वाले पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखे जाने संबंधी जानकारी ग्रामसभाओं को दी गई है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-21/2009/5/25</u> <u>दिनांक 23.03.2010</u>	कोई टिप्पणी नहीं।

2)	**767**	**अता.प्र.सं.59 (क्र.1372) दि.10.07.2009**	**मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग में विकासखंड अधि./क्षेत्रीय संयोजन के पदों की पदोन्नति से पूर्ति।**	**कार्यवाही प्रचलन में है।**	मंडल संयोजक से विकास खंड अधिकारी /क्षेत्र संयोजक के पद पर पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने प्रस्ताव मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र क्रमांक एफ-4-14/2004/1/25 दिनांक 27.02.2009 द्वारा भेजा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-23-9/2009/1/25 दिनांक 22.3.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

3)	768	ता.प्र.सं.12 (क्र.2944) दि.17.07.2009	ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड घाटीगांव के अरोन पंचायत के सरपंच द्वारा अग्निकांड के पीड़ित सहदिया जाति के आदिवासियों के लिये उपलब्ध कराई गई सहायता राशि के दुरूपयोग किये जाने पर उनसे वसूली कर पीड़ितों को समय सीमा में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाना। 2. घाटीगांव ब्लाक की बरई ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गो को अनुदान की राशि प्राप्त न होने की जॉच एवं कार्यवाही।	1. राशि की वसूली होने पर पीड़ित सहदिया आदिवासियों को राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। वसूली की प्रतीक्षा किये बिना शासन के द्वारा उनको एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कर दिया जायेगा। 2. जॉच करा ली जायेगी तथा उनका भुगतान कर दिया जायेगा।	ग्राम आरोन विकास खंड बरई(घाटीगांव) जिला ग्वालियर के विशेष पिछड़ी जनजाति (सहरिया) के लिये छत मरम्मत हेतु स्वीकृत 34 हितग्राहियों में से 31 हितग्राहियों को राशि रूपये 500/- प्रति हितग्राही के मान से राशि के बैंक प्रभारी सरपंच ग्राम पंचायत आरोन सचिव,ग्राम पंचायत आरोन एवं संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास ग्वालियर चंबल संभाग के समय दिनांक 22.07.2009 को वितरित किये जा चुके है । 03 हितग्राहियों के ग्राम में उपलब्ध न होने क कारण उन्हें चैक नहीं प्रदाय किये जा सके थे । जो बाद में दिनांक 27.07.2009 को जनपद पंचायत बरई के माध्यम से वितरित किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-23/2009/3-25** **दिनांक 18.11.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

4)	**769**	**परि.ता.प्र.सं.68 (क्र.2517) दि.17.07.2009**	**बड़वानी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद की पूर्ति ।**	**रिक्त पदों की पूर्ति करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।**	बड़वानी जिले के अंतर्गत शालाओं में पदोन्नति द्वारा वर्ग-1 के 17 एवं वर्ग-2 के 81 पद भरे गये एवं सीधी भर्ती द्वारा वर्ग-1 के 04, वर्ग-2 के 31 एवं वर्ग-3 के 520 पदों पर नियुक्ति की गई । समय समय पर रिक्त होने वाले पदों को गणना में लिया जाकर भर्ती की कार्यवाही संपादित की जाती रही है । **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-17/2009/25 -2** **दिनांक 16.02.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

5)	**772**	**परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.1293) दि.17.07.2009**	**प्रदेश में जैव विविधता समितियों का गठन।**	**कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के लियम 4 (1)(ड) में ग्राम सभा के कृत्यों में जैव विविधता समितियां गठित करने का उल्लेख है । यह ग्राम सभा का एक कर्तव्य है जिसका पालन करना सभी ग्रामसभाओं के लिये बन्धनकारी नहीं है। प्रदेश में 12557 जैव विविधता समितियां गठित की गई है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-33/2009/25-5 दिनांक 07.09.2011</u>**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

6)	**773**	**परि.ता.प्र.सं.85 (क्र.2910) दि.17.07.2009**	**तहसील सेंधवा जिला बड़वानी के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्राचार्यो के रिक्त पदों की पूर्ति।**	**पदों को भरने की प्रक्रिया प्रचलन में है।**	तहसील सेंधवा जिला बडवानी के शासकीय विद्यालयों में जिला स्तर से पदोन्नति वर्ग-1 से 01,वर्ग-दो से 06 तथा सीधी भर्ती द्वारा वर्ग -1 से 03,वर्ग-2 से 16 तथा वर्ग -3 से 151 पदों की पूर्ति की गई । प्राचार्या के पद पदोन्नति से भरे जाना है। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-22-18/2009/1-25 दिनांक 08.02.2010</u>	**कोई टिप्पणी नहीं।**

7)	774	अता.प्र.सं.52 (क्र.2261) दि.17.07.2009	वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक छतरपुर पन्ना एवं बैतूल जिले में छात्रों /छात्राओं को छात्रवृत्ति की वितरित की गई राशि में से शेष राशि वापस की जाना।	शेष राशि छात्र/ छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत क्लेम के निराकरण के पश्चात कोषालय में जमा की जा सकेगी।	(1) जिला छतरपुर द्वारा रूपये 2,44,880/- चालान क्रमांक 277 जुलाई 2009 में शेष राशि जमा कराई गई (2) जिला पन्ना द्वारा चालान क्रमांक 110 दिनांक 28.07.2009 से रूपये 92109/- तथा चालान क्रमांक 127 दिनांक 9.9.09 से रूपये 19320/- कुल राशि रूपये 111429/- चालान द्वारा कोषालय में जमा कराई गई। <u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-16/2009/2/25 दिनांक 16.02.2010</u>	कोई टिप्पणी नहीं।

8)	**775**	**ता.प्र.सं.7 (क्र.2207) दि.24.07.2009**	**1.धार जिले में डीजल पंप खरीदी में हुई अनियमितता की जॉंच एवं कार्यवाही।** **2. बैतूल जिले में 2008-09 में शेष रहे किसानों को डीजल पंप का समय सीमा में वितरण।**	**1. जॉंच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी । आयुक्त आदिवासी विकास की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जॉंच समिति गठित की गई है उसमें जॉंच की जा रही है।** **2. बैतूल जिले में 2008-09 में 242 डीजल पंप वितरित करने शेष है और यह राशि उसी में से है इसलिये इसको एक महीने के अन्दर वितरित कर दिये जायेंगे।**	(1) श्री आर.एस.खरे अपर आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की जॉंच रिपोर्ट अपर आयुक्त आदिवासी विकास के पत्र क्रमांक अ.आ./स्टेनो/09/ 184 दिनांक 7.09.2009 द्वारा शासन को प्रेषित की गई है। (2) बैतूल जिले में अवितरित 242 डीजल पंपों का वितरण किया जा चुका है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-35/2009/3-25 दिनांक 19.11.2010</u>**	**(1) प्रकरण में अद्यतन जानकारी हेतु लगातार पत्राचार के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक कार्यवाही पूर्ण न किये जाने की जानकारी से समिति को अवगत न कराना विभागीय कार्य में लापरवाही अथवा दोषियों को बचाने की कार्यवाही प्रतीत हो रही है । प्रकरण में जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाये । समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समिति करती है।** **(2) कोई टिप्पणी नहीं।**

9)	**776**	**परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.1485) दि.24.07.2009**	**जबलपुर जिले के आदिवासी उप योजना क्षेत्र कुण्डम को विशेष आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाना।**	**वहां सर्वेक्षण कराया जा सकेगा।**	मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक दिनांक 28.07.2010 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 2.8 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी पिछड़ी जनजातियों सहरिया,बैगा और भारिया जो चिन्हांकित क्षेत्रों में हरने वाले परिवारों की भांति सुविधाओं का लाभ उपलब्ध हो । इस संबंध में आदिम जाति अनुसंधान संस्थान भोपाल से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक एच-21-36/2009/3-25 दिनांक 01.11.2010** **अद्यतन –** आदिम जाति अनुसंधान संस्थान में सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक एच-21-36/2009/3-25 दिनांक 01.11.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					<u>अद्यतन :-</u> जबलपुर जिले के आदिवासी उप योजना क्षेत्र कुण्डम को विशेष आदिवासी क्षेत्र घोषित किये जाने के संंध में विभाग द्वारा भारत सरकार के राजपत्र सं. 79 दिनांक 20.02.2003 द्वारा अधिसूचित "अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़ क्षारखंड और मध्यप्रदेश राज्य)आदेश 2003 " में अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित अंतर्गत जबलपुर जिले की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कुण्डम नहीं होने से राज्य द्वारा कुण्डम को विशेष आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाना संभव नहीं है । आश्वासन की विषय वस्तु राज्य शासन के अधिकारी में नहीं है । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21-36/2009/25-3/498 दिनांक 05.10.2021</u>**	

10)	**777**	**परि.ता.प्र.सं.22 (क्र.1685) दि.24.07.2009**	**पन्ना जिले में पवई विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत एकीकृत आदिवासी दुग्ध परियोजना की स्वीकृति।**	**कार्यवाही उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला पन्ना के स्तर पर स्वीकृति हेतु कार्य योजना तैयार कराई जा रही है।**	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं जिला पन्ना द्वारा तैयार प्रतिवेदन पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। अब आदम जाति कल्याण विभाग से अन्य कोई कार्यावाही अपेक्षित नहीं है। स्वीकृति हेतु कार्यवाही उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के स्तर से की जानी है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21/30/2009/3-25</u>** **<u>दिनांक 2.06.15</u>** **<u>अद्यतन :-</u>** संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल द्वारा प्रस्ताव को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत राज्य आयोजना मद से अथवा बुन्देलखंड पैकेज में सम्मिलित कराने हेतु उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें जिला पन्ना द्वारा तैयार रूपये 142.37 लाख का परियोजना प्रतिवेदन	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					तैयार किया गया जिसमें पशुपालकों को पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण पशु उत्प्रेरण टीकाकरण प्राथमिक उपचार एवं बीमारी बधियाकरण दुधारू पशुओं की देखरेख चारा उत्पादन एवं अन्य विभागीय गतिविधियों से संबंधित साहित्य सामग्री का वितरण शामिल है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-39/2009/3-25/1125 दिनांक 12.10.2017**	

11)	**778**	**परि.ता.प्र.सं.27 (क्र.2004) दि.24.07.2009**	**बालाघाट जिले की जानपुर एवं उकवा हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों में शिक्षकों के पदों की पूर्ति।**	**जानपुर एवं उकवा में पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**	मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-21/08/ 25/2 दिनांक 16.9.2009 द्वारा पद स्वीकृत किये गये है । **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21-20/09/25-2 दिनांक 16.02.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

12)	**779**	**परि.ता.प्र.सं.36 (क्र.2362) दि.24.07.2009**	**अनूपपुर जिले में वर्ष 2004 से 2009 तक के भवनों के कार्यो को पूर्ण किया जाना।**	**अनुबंध अनुसार समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जायेगा।**	अनूपपुर जिले में वर्ष 2004-2009 तक 21 भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी । जिले में तकनीकी अमला उपलब्ध न होने के कारण मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल,लोक निर्माण विभाग एवं लघु उद्योग निगम के माध्यम से निर्माण कार्य कराये जा रहे है तत्समय समुचित भूमि उपलब्ध न होने अपेक्षित निविदा दर प्राप्त न होने के कारण बार-बार निविदा आमंत्रित करने तका निर्माण एजेन्सियों द्वारा विलंब से कार्य करने के कारण भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने मं विलंब से कार्य करने के कारण भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अनूपपुर के पत्र दिनांक 29.01.2010 द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार अब तक	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					31 कार्यो में से 5 कार्य पूर्ण कर लिये गये है तथा शेष कार्य प्रगति पर है । जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने हेतु कलेक्टर अनूपपुर को निर्देश दिये गये है । भवन निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया का पालन करते हुए कराया जाता है । जिससे कार्य पूर्ण करने में विलंब होना स्वाभाविक है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-21/2009/25-2** **दिनांक 16 फरवरी,2010**	

13)	**780**	**परि.ता.प्र.सं.42 (क्र.2514) दि.24.07.2009**	**वन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन पट्टों का वितरण।**	**अधिनियम के तहत पात्र वन निवासियों को हक प्रमाण पत्र वितरण की कार्यवाही जारी है।**	अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत माह नवम्बर,2009 तक 59051 हक प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21-38/2009/5/25 दिनांक 5.01.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
14)	**782**	**परि.ता.प्र.सं.71 (क्र.3505) दि.24.07.2009**	**उज्जैन एवं रतलाम जिले में व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति।**	**पद स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**	व्याख्याता से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति उपरांत आदेश क्रमांक एफ-4-17/07/1-25 दिनांक 23.07.2009 द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल की पदस्थापना की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक 23-25/2009/1/25 दिनांक 29.12.2009**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

15)	**784**	**अता.प्र.सं.77 (क्र.3634) दि.24.07.2009**	**अनूपपुर जिले के जैतहरी विकासखंड के उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य श्री पी.के.लारिया के बारे में श्री बुद्धसेन राठौर के सूचना के अधिकारी के तहत दिये गये आवेदन में संभागीय उपायुक्त आदिवासी विकास शहडोल द्वारा दी गई जानकारी में प्राचार्य के सेवा अभिलेख में नियुक्ति पत्र अंक सूची तथा जाति निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर प्राचार्य के विरूद्ध जॉच एवं कार्यवाही।**	**जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।**	संभागीय उपायुक्त आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास शहडोल द्वारा श्री पी.के.लारिया प्राचार्य से उनके मूल अभिलेख चाहे गये किन्तु लारिया द्वारा अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई । मूल जाति प्रमाण पत्र एवं जाति से संबंधित अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाये जाने से प्रकरण उच्च स्तरीय छानबीन समिति को जॉच हेतु सौंपा गया है। उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र की जॉच हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जाप्रस/803:10/12408 दिनांक 18.07.10 द्वारा पुलिस अधीक्षक शहडोल को जॉच प्रतिवेदन हेतु लिखा गया है । जाति प्रमाण पत्र की जॉच में समय लगना स्वाभाविक है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 23-19/2009/1/25** **दिनांक 1.11.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

16)	1063	ता.प्र.सं.9 (क्र.5225) दि.31.07.2009	**1. भोपाल व होशंगाबाद में प्रबंधन के अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अधिक छात्रवृत्ति तथा नरसिंहपुर जिले में कम छात्रवृत्ति दिये जाने की जॉंच एवं कार्यवाही।** **2. नरसिंहपुर में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति (प्रबंधन) छात्रों को पिछड़ा वर्ग छात्रों की तुलना में कम छात्रवृत्ति दी जाने की जॉंच एवं कार्यवाही।** **3. नरसिंहपुर जिले में छात्रवृत्ति संबंधी विसंगति को दूर किया जाना एवं इसके दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही।**	**1.प्रकरण का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।** **2.प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। गुण दोष के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।** **3. प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाये जाने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार संबंधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।**	नरसिंहपुर जिले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र-छात्राओं को एम.बी.ए. कोर्स हेतु फीस राशि रूपये 7580/- निर्धारित की गई है। तदनुसार अशासकीय संस्था परमहंस इंस्टीटयूट आफ मेनेजमेंट नरसिंहपुर में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिला नरसिंहपुर द्वारा फीस स्वीकृत की गई है। 2. भोपाल जिले में एम.बी.ए. कोर्स के लिये बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा फीस रूपये 30,000/- निर्धारित की गई तदनुसार जिला संयोजक भोपाल द्वारा रूपये 30000/- के मान से फीस की प्रतिपूर्ति की गई है। 3. होशंगाबाद जिले में वर्ष 09-10 में किसी भी शासकीय महाविद्यालय में एम.बी.ए.का कोर्स संचालित	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					नहीं होने एवं अशासकीय महाविद्यालय में एम.बी.ए.में अनुसूचित जाति/ जनजाति का कोई छात्र अध्ययनरत नहीं था । **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21-69/2009/25-4</u>** **<u>दिनांक 11 जून,2012</u>**	

17)	**1064**	**परि.ता.प्र.सं.23 (क्र.2674) दि.31.07.2009**	**सहायक शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक को प्रथम नियुक्ति दिनांक मान कर स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों के समान लाभ दिया जाना।**	**प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।**	आदेश क्रमांक एफ-3-550/2006/1/25 भोपाल दिनांक 29 अप्रैल 2010 के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के समान आदिम जाति कल्याण विभाग के उप शिक्षकों / सहायक शिक्षकों/ शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान तथा परिवीक्षा अवधि में अर्जित वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर एरियर्स की राशि के भुगतान का लाभ केवल न्यायालय प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्त्ता एवं अन्य को लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ 23-30/2010/1/25 दिनांक 07.06.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

18)	1065	परि.ता.प्र.सं.51 (क्र.4059) दि.31.07.2009	बड़वानी जिले में स्थित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा ओ.बी.सी.के पोस्ट मेट्रिक छात्रों को वर्ष 2007-08, 2008-09 की छात्रवृत्ति न मिलने की जॉच एवं कार्यवाही।	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस बड़वानी के अतिरिक्त प्रेमसुख इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साईंस सेंधवा के आवेदन सत्रान्त के पश्चात प्राप्त होने के कारण संस्था की जॉच कराई जा रही है । जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।	बड़वानी जिले में जॉच प्रतिवेदन अनुसार अनुसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरण की गई है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-34/2009/25-2 दिनांक 15.03.2010	**कोई टिप्पणी नहीं।**

19)	1066	**परि.ता.प्र.सं.68 (क्र.4476) दि.31.07.2009**	**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सहायक अनुसंधान अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 15.06.2009 पर कार्यवाही।**	**कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**	आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक अनुसंधान अधिकारियो की पदोन्नति के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 15.06.2009 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर विभागीय 13 सहायक अनुसंधान अधिकारियों के साथ ही श्री ओ.पी.गुप्ता का सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर आदेश क्रमांक एफ-4-135/1993/ 1/25 दिनांक 2.09.09 द्वारा स्थायीकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक 23-28/2009/1/25 दिनांक 25.03.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

20)	1067	**परि.ता.प्र.सं.69 (क्र.4477) दि.31.07.2009**	**आदिवासी विकास विभाग में सहायक अनुसंधान अधिकारी संवर्ग के स्थाईकरण से वंचित अधिकारियों का स्थाईकरण।**	**स्थाईकरण से वंचित अधिकारियों के स्थाईकरण की कार्यवाही रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर प्रक्रियाधीन है।**	स्थाईकरण से वंचित सहायक अनुसंधान अधिकारियों का स्थायीकरण आदेश क्रमांक एफ-4-135/1993/1/25 दिनांक 2.9.2009 द्वारा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-23-29/2009/1/25 दिनांक 25.03.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

21)	**1068**	**परि.ता.प्र.सं.104 (क्र.4976) दि.31.07.2009**	**रीवा जिले के आदिवासी बालक आश्रम गेढ़रहा तथा पोमै आदिवासी बालक छात्रावास रीवा के विद्युत फिटिंग मरम्मत कार्यो में श्री अरूण शुक्ल जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण रीवा द्वारा की गई अनियमितता की जॉंच एवं कार्यवाही।**	**कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**	श्री अरूण शुक्ला जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग रीवा द्वारा की गयी अनियमितता की जॉंच आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा हुए उन पर अधिरोपित आरोपों पर प्रतिवाद उपरांत श्री शुक्ला को दीर्घशास्ति से दंडित करने के प्रस्ताव पर शासन स्तर से आदेश क्रमांक एफ 16-21/09/1/25 दिनांक 16-21/09/1/25 दिनांक 19.02.2010 द्वारा श्री अरूण शुक्ला के विरूद्ध विभागीय जॉंच संस्थित की गई तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 6.3.2010 द्वारा निलंबित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-23-41/2009/1/25 दिनांक 22.03.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

22)	1069	**परि.ता.प्र.सं.119 (क्र.5153) दि.31.07.2009**	**जिला संयोजक कार्यालय आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण भिण्ड के विशेष अंकेक्षण में वित्तीय अनियमितता पाई जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही।**	**अंकेक्षण रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।**	अंकेक्षण रिपोर्ट के भाग-1 की कंडिका क्रमांक-1 अग्रिम राशियों को आहरण कर बैंकों में रखे जाने के संबंध में श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव तत्कालीन जिला संयोजक भिण्ड को मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम-118 व मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम-9 व सहायक नियम - 284 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है । इस कारण आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के आदेश क्रमांक – स्था/1/न.के.-3/वि.स;/10-11/127 दिनांक 7.4.2011 के द्वारा उनकी आगामी दो वेतन वृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड अधिरोपित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ - 23-38/2009/1/25 दिनांक 18.07.2011**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

23)	**1070**	**अता.प्र.सं.6 (क्र.197) दि.31.07.2009**	**मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति (मांझी बनकर) के प्रमाण पत्र बनवा कर आरक्षण का अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के विरूद्ध जाँच एवं कार्यवाही।**	**कुल 61 प्रकरणों में जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है।**	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु गठित राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा मांझी जाति के कुल 61 प्रकरणों में से 05 प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है। शेष 56 प्रकरणों में जाँच कार्यवाही अर्धन्यायिक स्वरूप की होने से निर्धारित जाँच प्रक्रिया का पालन किए बिना समय-सीमा में निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ-21-46/2009/25-5, दिनांक 27.10.2010</u>** **<u>अद्यतन :-</u>** मांझी जाति के कुल 61 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में समिति के निर्णय उपरांत श्रीमती गीता निषाद की सेवा समाप्त की जा चुकी है। समिति की बैठक दिनांक 9.5.2008 में 01,प्रकरण दिनांक 21.06.2010 को 01 प्रकरण दिनांक	**कोई टिप्पणी नहीं।**

					11.3.2010 को 02,दिनांक 20.09.2010 को 01 प्रकरण दि. 18.07.2011 में 01 प्रकरण तथा दिनांक 27.11.2012 में 01 प्रकरण एवं दिनांक 26.02.2014 में 01 प्रकरण का बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। शेष 52 प्रकरणों में जॉच जारी है । प्रकरणों की जॉच सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा की जा सही है । जॉच की कार्यवाही अर्द्धन्यायिक स्वरूप की होने से संभावित है। **<u>विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21-46/09/25-2/1722 दिनांक 27.11.2014</u>**	

24)	**1071**	**अता.प्र.सं.69 (क्र.4478) दि.31.07.2009**	**सहायक अनुसंधान अधिकारियों के स्थायीकरण के संबंध में विधानसभा के फरवरी-मार्च 2008 सत्र के तारांकित प्रश्न क्र.2010 में दिये गये उत्तर के आश्वासन क्रमांक 760 पर कार्यवाही।**	**कार्यवाही प्रक्रियाधीन है यथाशीघ्र।**	सहायक अनुसंधान अधिकारियों का स्थायीकरण आदेश क्रमांक एफ 4-135/1993/1/25 दिनांक 2.9.09 द्वारा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक 23-26/2009/1/25 दिनांक 26.03.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**
25)	**1072**	**अता.प्र.सं.88 (क्र.4769) दि.31.07.2009**	**तत्कालीन जिला संयोजक भिण्ड के विरूद्ध विभागीय गतिविधियों के नाम पर फर्जी भुगतान की प्राप्त शिकायतों की जॉच एवं कार्यवाही।**	**आयुक्त आदिवासी विकास से जॉच कराई जा रही है।**	आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश द्वारा जिला संयोजक भिण्ड की शिकायतों की जॉच अपर कलेक्टर एवं जिला कोषालय अधिकारी की समिति गठित कर जॉच कराई गई। शिकायत असत्य पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक एफ-23/39/2009/1/25 दिनांक 07.10.2010**	**कोई टिप्पणी नहीं।**

26)	**1073**	**अता.प्र.सं.108 (क्र.4978) दि.31.07.2009**	**जिलाध्यक्ष भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला रीवा द्वारा अपने पत्र के माध्यम से आयुक्त रीवा संभाग को जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के विरूद्ध आठ बिन्दुओं पर की गई शिकायत की जॉच एवं कार्यवाही।**	**आयुक्त रीवा संभाग द्वारा जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है।**	श्री अरूण शुक्ला जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग रीवा द्वारा की गई अनियमितता की जॉच आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा करते हुये उन पर अधिरोपित आरोपों पर प्रतिवाद उपरांत श्री शुक्ला को दीर्घशास्ति से दंडित करने के प्रस्ताव पर शासन स्तर से आदेश क्रमांक एफ 16-21/09/1/25 दिनांक 19.02.2010 द्वारा श्री अरूण शुक्ला के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थित की गई तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.3010 द्वारा निलंबित भी किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ-23/40/2009/1/25 दिनांक 22.03.2010	**कोई टिप्पणी नहीं।**

27)	1074	अता.प्र.सं.150 (क्र.5271) दि.31.07.2009	सीधी जिले के संजय राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण।	उद्यान अंतर्गत 18 ग्रामों में विद्युतीकरण किया जाना है।	सीधी जिले के संजय राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के 18 ग्रामों के विस्थापन की कार्यवाही संचालक संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में विद्युत लाईन के कारण संजय दुबरी अभ्यारण में वन्य प्राणियों की मृत्यु हुई है एवं राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंध होने के कारण ग्रिड से विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता है। विभागीय पत्र क्रमांक 21-47/2009/3-25 दिनांक 13.01.2011	कोई टिप्पणी नहीं।

स्थान – भोपाल
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024

हरिशंकर खटीक
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति